>

Title: Regarding delisting of Trochus Niloticus (Sea Shell) as a ban item.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले यूपीए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मैंने वर्ष 2009 और 2010 में मांग की थी कि अंडमान में पुलिस कर्मचारियों को दिल्ली की तर्ज पर राशन मनी दिया जाए। आज उसका आर्डर गया है।

अंडमान-निकोबार के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जैसे शैल, सिपी, ट्रोकस की फैक्ट्रीज थी। अचानक वर्ष जुलाई, 2001 में भारत सरकार के वन मंत्रालय ने वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट के नाम पर 52 आइटम्स जैसे ट्रोकस, ट्रोचस, निलोटिकस आदि को बैन कर दिया गया। वह अंडमान-निकोबार के लिए बैन है। अंडमान के लिए 52 शैल स्पिशिज पर बैन नहीं हटा, लेकिन बंगाल, तमिलनाडु आदि राज्यों में 26 शैल स्पिशिज पर बैन हट गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारे समुद्र में कोस्टल एरिया करीब 9 हजार स्केयर किलोमीटर है। इंगलिश में एक शैल का नाम ट्रोकस-निलोटिकस है या टार्चर्स शैल है, जो साल में 20 हजार अंडे देते हैं। एक साल में एक ट्रोकस या सीपी ढाई से तीन टन, पांच टन शैल,ट्रोकस आदि पैदा करता है और उसके बाद खुद मर जाता है। इस संबंध में अंडमान प्रशासन, उपराज्यपाल ने चर्चा की और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और फिशिज डिपार्टमैंट द्वारा एक सर्वे कराया गया और कहा गया कि हमारी सम्पदा पूरी पड़ी है। हमारी इंडस्ट्रीज जो आज भूखी पड़ी है, इसलिए तीन साल के लिए इस फिशिज को बैन आइटम से मुक्त किया जाये तथा शैल इंडस्ट्रीज को आवंटन किया जाये। हमारे लिए मना है, लेकिन बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, बंगलादेश आदि पूरे द्वीप समूह में आते हैं और ट्रोकस उठाकर ले जाते हैं। यह हमारे लिए मना है लेकिन उनके लिए मना नहीं है।

भारत सरकार के पास प्रशासन की तरफ से डिपार्टमैंट ऑफ फारेस्ट की तरफ से मंत्रालय को मई, 2011 को एक पत्र गया तथा सांसद मे 10 मार्च, 2012 को पुनः वन मंत्रालय को पत्र लिखकर मांग की कि ट्रोकस-निलोटिकस/ टार्चर्स शैल को बैन आइटम से मुक्त किया जाये। हमारी शैल इंडस्ट्रीज को आवंटन करें ताकि वह आगे बढ़ सके।